अनवान
तलसाराम बनाम होली व अन्य

30.09.2024	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा उपस्थित। प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से निवेदन किया कि प्रार्थी ने एक राजस्व अपील अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की थी, जो अपील संख्या 10/2011 पर दर्ज रजिस्टर की गई थी। यह है कि कोरोना से पूर्व वर्ष 2018 में प्रार्थी के घुटने की सर्जरी करवाई व उसके बाद से प्रार्थी को हार्ट की समस्या रहने लगी और वर्ष 2020-21 में उसके हार्ट का ऑपरेशन हुआ और तब से प्रार्थी बीमार ही चल रहा है। यह है कि दिनांक 12.07.2021 को श्रीमान न्यायालय में पेशी पर प्रार्थी एवं उसके अधिवक्ता को तीन बार आवाज लगवाकर प्रकरण को अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया, जबकि प्रार्थी बीमार होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका एव ना ही प्रार्थी के अधिवक्ता को कोई सूचना दी। अप्रार्थीगण द्वारा अपर जिला न्यायालय पिण्डवाडा में चल रहे प्रकरण के दौरान उपरोक्त तथ्य बताने पर की प्रार्थी के द्वारा पेश की गई अपील खारिज हो चुकी है, जिस पर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो प्रार्थी के अधिवक्ता ने ना तो उसको अपील की फाईलें लौटाई और ना ही आदेश की नकलें दी गई, जिस पर प्रार्थी ने नई नकलें मांग कर बिना कोई देरीना के यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यह है कि प्रार्थी के श्रीमान न्यायालय में अनुपस्थिति के उचित कारण थे एवं प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा की गई लापरवाही के लिए प्रार्थी को नुकसान कारित करना न्यायोचित नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी के विरूद्ध किए गए एक तरफा आदेश दिनांक 12.07.2021 को अपास्त कर मूल अपील को पुनः रिकॉर्ड पर लेने का आदेश प्रदान करावें। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी ने एक अपील प्रस्तुत की, जो अपील संख्या 10/2011 पर दर्ज रजिस्टर हुई एवं उसके पश्चात पेशीयां में चली है तथा बाद में मार्च 2021 से लगातार पेशियां हुई है। यह है कि प्रार्थी अन्य न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों में लगातार पैरवी करता आ रहा है तथा आराम से अपना समस्त कार्य कर रहा है। प्रार्थी की अपील पर मार्च 2021 से दिनांक 12.07.2021 तक कुल सात पेशियां न्यायालय में हुई, जिनमें से किसी भी तारीख पेशी पर प्रार्थी या उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरान्त भी न्यायालय ने न्यायहित में उन्हें काफी मौके दिए एवं अन्त में प्रार्थी एवं उसके अधिवक्ता द्वारा लगातार सात पेशियों पर अनुपस्थित रहने एवं दिनांक 12.07.2021 को आवाज दिलाने के उपरान्त भी पेशी पर नहीं आने के कारण प्रकरण को अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा अपर जिला न्यायालय पिण्डवाडा में उप... प्रार्थी को किस तारीख को बताए, इसका उल्लेख जानबूझकर प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार यह अपील जानबूझकर ... पेश की गई है और प्रार्थी द्वारा न्यायालय में अनुपस्थिति के लिए कोई उचित कारण नहीं बताया है। यह है कि प्रार्थी को उक्त आदेश की जानकारी काफी समय पहले ही हो गई थी, लेकिन जानबूझकर यह प्रार्थना पत्र देरीना प्रस्तुत किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र मय खर्चे हर्जे खारिज कराना फरमावें।	
जिला कलेक्टर, सिरोही		

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:31:11 IST
Reason: SelfAttested

Continue....

Scanned with CamScanner

अनवान
तलसाराम बनाम होली व अन्य

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव व न्यायालय पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक राजस्व अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 13.10.2011 को प्रस्तुत की गई थी, जो अपील संख्या 10/2011 पर दर्ज रजिस्टर की गई थी, उसके पश्चात उक्त अपील में अग्रिम कार्यवाही हेतु पेशियां चलती रही एवं मार्च 2021 से दिनांक 12.07.2021 तक लगातार पेशियां होती रही, जिसमें से केवल एक पेशी पर प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुए, इसके अलावा प्रार्थी या उसके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में कोई उपस्थिति नहीं दी गई और प्रार्थी या उसके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने से दिनांक 12.07.2021 को प्रार्थी की अपील को अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया था। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि कोरोना से पूर्व वर्ष 2018 में प्रार्थी ने घुटने की सर्जरी करवाई व उसके बाद से प्रार्थी को हार्ट की समस्या होने से वर्ष 2020–21 में उसके हार्ट का ऑपरेशन हुआ और तब से प्रार्थी बीमार ही चल रहा है एवं प्रार्थी के बीमार होने के कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका एव ना ही प्रार्थी के अधिवक्ता ने उनको कोई सूचना दी। इसके विपरीत अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने तर्क किया है कि प्रार्थी की अपील पर मार्च 2021 से दिनांक 12.07.2021 तक कुल सात पेशियां न्यायालय में हुई, जिनमें से किसी भी तारीख पेशी पर प्रार्थी या उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरान्त भी न्यायालय ने न्यायहित में उन्हें काफी मौके दिए एवं अन्त में प्रार्थी एवं उसके अधिवक्ता द्वारा लगातार सात पेशियों पर अनुपस्थित रहने एवं दिनांक 12.07.2021 को आवाज दिलाने के उपरान्त भी पेशी पर नहीं आने के कारण प्रकरण को अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा किया गया यह कथन सही है कि प्रार्थी की अपील पर मार्च 2021 से दिनांक 12.07.2021 तक कुल सात पेशियां न्यायालय में हुई, जिनमें से केवल एक पेशी पर प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुए, इसके उपरान्त भी न्यायालय द्वारा न्यायहित में उन्हें काफी मौके दिए एवं अन्त में प्रार्थी एवं उसके अधिवक्ता न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहने से दिनांक 12.07.2021 को प्रार्थी और उसके अधिवक्ता को तीन बार आवाज दिलाने के उपरान्त न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से प्रकरण को अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है, परन्तु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वर्ष 2018, 2019 व 2021 में प्रार्थी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसके कारण प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित [illegible]सका, जो उचित प्रतीत होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा उक्त अपील अधिवक्ता के माध्यम से [illegible] की गई थी एवं उन्होंने अपने अ[illegible] पैरवी करने के लिए नियुक्त किया गया था। अतः उनके अधिवक्ता के द्वारा उक्त अपील में पैरवी करनी चाहिए थी, परन्तु उनके अधिवक्ता द्वारा भी उक्त अपील में पैरवी नही की गई थी। अतः प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा की गई लापरवाही के लिए प्राथी को नुकसान कारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी अन्य न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों में लगातार पैरवी करता आ रहा है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी

Continue...

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:31:11 IST
Reason: SelfAttested

अल्पा
जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अनवान

तलसाराम बनाम होली व अन्य

प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा न्यायालय पत्रावली की आदेशिका इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थी द्वारा अन्य न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों में पैरवी की जा रही हो। अतः प्रार्थी के प्रति सद्भावना पूर्ण एवं नरमाई का रूख अपनाते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पीसी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 10/2011 में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2021 को निरस्त किया जाकर उक्त अपील को पुनः रेकर्ड पर लिए जाने के आदेश दिए जाते है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:31:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner